न्यायालय - उपजिलाधिकारी सदर प्रतिलिपि - आदेश दिनांक 28.7.09
वाद सं० - 09 सन् 2009 धारा - 143 ज०वि०अधि०
मौजा - मचकौली परगना - बरन
ब्रह्मानन्द एजुकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन प्रमोद कुमार त्यागी
बनाम सरकार
ता० 28-7-09

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बुलन्दशहर

वाद संख्या 9 सन 2009 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

ब्रहमानन्द एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन प्रमोद कुमार त्यागी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मौजा ग्राम मचकौली परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर

::निर्णय::

उक्त वाद श्री प्रमोद कुमार त्यागा पुत्र बा० एन० त्यागी निवासी शिवपुरी तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम मचकौली परगनाबरन स्थित खाता संख्या 81 गाटा सं0 0.410 है0 व खाता सं0 7 गाटा सं0 199 क्षे0 0.219 है0 व खाता सं0 6 गाटा सं0 200 क्षे0 0.409 है0 व खाता सं0 5 गाटा सं0 202 क्षे0 1.067 है0 पर स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है।स्थल पर ब्रहमानन्द एजूकेशनल एन्ड चैरिटेबल ट्रस्ट स्थित है।और स्कूल व कालिज बना हुआ है।अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार बुलन्दशहर से कराई गई । उन्होंने अपनी जांच आख्या दिनांक 24-1-2009 में अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि कार्यओर न ही कुकुट पालन व बागवानी हो रही है।स्थल पर स्कूल का निर्माण चल रहा है।प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कियाजाये।

उक्त आख्या प्राप्त होने पर वादी को सुना व पत्रावली का अवलोकन कियागया।मेरे द्वारा स्वंय दिनांक 27-7-2009 को स्थल का निरीक्षण किया गया।प्रश्नगत भूमि पर स्कूल व कालिज बना हुआ है।भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है।अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

ग्राम मचकौली परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित खाता सं0 81 गाटा सं0 198 क्षे0 0.410 है0 खाता सं 7 गाटा सं0 199 क्षे0 0.219 है0 व खाता सं0 6 गाटा सं0 200 क्षे0 0.409 है0 व खाता सं0 5 गाटा सं0 202 क्षे0 1.067 है0 लगानी 89.35 पैसा को अकृषिक घोषित किया जाता है।तदानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु परवाना जारी हो।बाद अनुपालन पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक 28/7/09

(राजवीर सिंह) 28/7/09
उपजिलाधिकारी
सदर बुलन्दशहर

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
कलैक्ट्रेट, बुलन्दशहर
दिनांक...12-7-21